तारीख हुक्म

18.10.22	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उपस्थित। वकील पक्षकार की बहस सुनी गयी जाने वास्ते वक्त दिया। पत्रावली दिनांक 31.10.2022 को पेश हो।
31/10/22	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उपस्थित। [illegible] को [illegible] पत्र [illegible] किया गया है आदेश पृथक से [illegible] [illegible] [illegible] किया गया पत्रावली फैसल [illegible] [illegible] [illegible] से [illegible] हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर जहाजपुर जिला भीलवाडा

बईजलास – श्री दामोदर सिंह, आर.ए.एस.
प्रकरण सं0 :– 47/2022
दायर दिनांक :– 19.09.2022

अनवान
देराम पिता मोडू मीणा नि. लुहारीखुर्द तह. जहाजपुर

प्रार्थी.....

बनाम

1. खेमराज पिता हेमा मीणा नि. लुहारीखुर्द तह. जहाजपुर
2. हरनाथ पिता हेमा मीणा नि. लुहारीखुर्द तह. जहाजपुर
3. रूपा पिता लालू मीणा नि. लुहारीखुर्द तह. जहाजपुर
3. तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाडा

अप्रार्थीगण.....

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा. टी. ए. ::

उपस्थित अभिभाषक
1. श्री सुरेखा शर्मा, एडवोकेट प्रार्थी,

:: आदेश :: दिनांक . .2022

प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने पेश कर निवेदन किया की ग्राम लुहारी खुर्द पटवार हल्का लुहारी कला तहसील जहाजपुर में प्रार्थी को मिसल सं. 1221/92 से 05 बीघा कृषि आराजी सं. 159 में से आवंटित की गई। उक्त आवंटित शुदा आराजी का सिपुर्दगीनामा सक्षम अधिकारी द्वारा तैयार किया जाकर दिनांक 14.06.1992 को मौतबीरान के समक्ष आवंटित आराजी का कब्जा प्रार्थी को सिपुर्द किया गया। प्रार्थी को आवंटित शुदा आराजी के नम्बर 159/13क बने। प्रार्थी के पक्ष में दिनांक 28.07.1993 को आवंटित शुदा आराजी का लगान कायम किया जाकर आराजी को आवंटी के गैर खातेदारी में दर्ज किये जाने के आदेश तत्समय सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये। वक्त सिपुर्दगी से ही आवंटी को कब्जा जिस जगह सिपुर्द किया गया उसी जगह चला आ रहा था। आवंटन आदेश, मिसल, सिपुर्दगीनामा, लगान कायमी आदेश की प्रमाणित प्रति साथ में पेश है। प्रार्थी को जिस समय आराजी सं. 159/13 क रकबा 05 बीघा आवंटित की जाकर कब्जा सिपुर्द किया गया उसी दरमियान् मिसल सं. 1220/92 श्री खाना पिता मोडू जी मीणा निवासी लुहारी खुर्द को आराजी सं. 159 में से 05 बीघा आराजी एवं श्री ऊंकार पिता कालू जी मीणा को मिसल सं. 1204/92 से 05 बीघा आराजी आवंटित की गई। प्रार्थी एवं उक्त दोनों अन्य आवंटियों के आवंटित शुदा आराजियात की तरमीम तत्कालीन नक्शे में की गई। प्रार्थी को आवंटित शुदा आराजी की तरमीम कर नक्शे में 1491/159 नम्बर दर्ज किये गये तथा श्री खाना जी को आवंटित आराजी की तरमीम नक्शे में की जाकर 1492/159 नम्बर दर्ज किये गये तथा इसी प्रकार ऊंकार पिता कालू जी मीणा को आवंटित आराजी की तरमीम नक्शे में की जाकर 1493/159 नम्बर दर्ज किये गये। प्रार्थी को आवंटित शुदा इस आराजी के बदिशा पश्चिम में श्री रामदेव पिता गोपी जी मीणा

सहायक कलक्टर
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner

निवासी लुहारी खुर्द को भी आराजी नं. 159 में से 05 बीघा आराजी आवंटित की गई। जिसकी तरमीम की जाकर नक्शे में आराजी नं. 159/16 दर्ज किये गये। जो वर्तमान नक्शे में भी उसी जगह मौजूद है। आवंटित आराजियात् का नक्शा साथ में पेश है। प्रार्थी, श्री ऊंकार जी एवं श्री खाना पिता मोडू जी तथा रामदेव पिता गोपी जी मीणा उक्त चारों व्यक्तियों को एक साथ आराजी सं. 159 में से 05–05 बीघा आराजी आवंटित की गई। जिसका कब्जा जिस जगह आवंटियों को सिपुर्द किया गया, उसी अनुरूप तत्समय नक्शे में भी तरमीम की गई, तब से लेकर आज दिनांक तक आवंटी, उनके वारिसान तथा उक्त आवंटन शुदा आराजी के खरीददार आवंटन शुदा आराजियात् पर निरन्तर निधि रूप से काबिज . काश्त चले आ रहे है। प्रार्थी स्वयं को आवंटित सिपुर्द शुदा कृषि आराजी सं. 1491/159 रकबा 05 बीघा पर वक्त सिपुर्दगी से निरन्तर निर्बाध रूप से काबिज काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी ने वर्तमान में उक्त आराजी में ज्वार की फसल काश्त कर रखी है। यह है कि प्रार्थी को आवंटित शुदा उपरोक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी अधिकार में दर्ज रेकार्ड की गई। ग्राम लुहारी खुर्द की जमाबंदी संवत् 2066 से 2069 के खाता सं. 103 सं. में आराजी सं. 1491/159 रकबा 05 बीघा दर्ज रेकार्ड है। राजस्व रेकार्ड ऑनलाईन करते समय सभी आराजियात् बीघा बिस्वा से हैयर हेक्टर में दर्ज की गई। वर्तमान जमाबंदी संवत् 2074–2077 के खाता सं. 94 में आराजी सं. 1491/159 रकबा 1.0000 है. प्रार्थी के खातेदारी अधिकार में दर्ज रेकार्ड चली आ रही है। जमाबंदी में दर्ज रकबे में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। जमाबंदी की नकल साथ में पेश है। प्रार्थी एवं तत्समय के आवंटी ऊंकार पिता कालू, खाना पिता मोडू की नक्शे में तरमीमशुदा उपरोक्त आराजियात् पर सिपुर्द किये गये कब्जे पर काबिज होने के बावजूद भी नक्शे में उक्त चारों आवंटियों की आराजी दर्ज होने के बावजूद भी राजस्व कर्मचारियों द्वारा मन मकसूद तरीके से बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के आराजी सं. 159 की अन्य नक्शा (लट्ठा शीट) में आराजी सं. 159/12, 159/17, 159/18 को आराजी सं. 1493/159, 1491/159 व 1492/159 के स्थान पर गलत रूप से तरमीम कर दर्ज कर दी गई। जिसका की उन्हें कोई कानूनन अधिकार नहीं है। राजस्व कर्मचारियों द्वारा उपरोक्त आवंटियों को बिना सुने, बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के की कई उक्त गलत तरमीम किसी भी प्रकार से विधि सम्मत नहीं होकर निरस्त होने योग्य है। नया नक्शा ट्रेस साथ में पेश है। प्रार्थी की आवंटितशुदा खातेदारी अधिकार की आराजी सं. 1491/159 जिस पर कि प्रार्थी वक्त आवंटन से ही निरन्तर निर्बाध रूप से काबिज चला आ रहा है, पर राजस्व कर्मचारियों द्वारा आराजी सं. 159 की अन्य नक्शा शीट में गलत तरीके से आराजी सं. 159/17, 159/18 को आराजी सं. 1491/159 के स्थान पर फिट कर तरमीम कर दिया है। उपरोक्त आराजी सं. 159/17 विपक्षीगण 01 लगायत 02 तथा मु. सोधरा के नाम दर्ज रेकार्ड है। खातेदार मु, सोधरा की मृत्यु हो चुकी है। मृतक मु, सोधरा के विपक्षीगण नं. 01 व 02 ही विधिक वारिसान है। आराजी सं. 159/18 विपक्षीगण नं. 03 के नाम दर्ज रेकार्ड है। जबकि विपक्षीगण नं. 01 लगायत 03 का उपरोक्त आराजी पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है एवं न ही वर्तमान में ही है। वर्तमान में भी प्रार्थी ही अपनी आवंटित सिपुर्द शुदा आराजी पर काबिज काश्त है। राजस्व कर्मचारियों द्वारा प्रार्थी, श्री ऊंकार जी एवं खाना पिता मोडू मीणा की तरमीमशुदा आराजियात् आराजी सं. 159 में दर्ज होने के बावजूद भी मनमकसूद तरीके से आराजी सं. 159 की अन्य नक्शा शीट में गलत तरीके से आराजी सं. 159/12, 159/17, 159/18 तरमीम किये है। जबकि प्रार्थी को आवंटित की गई उपरोक्त आराजी की तरमीम जिस नक्शा शीट में की गई उस नक्शा शीट में प्रार्थी की आराजी के बदिशा दक्षिण में आराजी सं. 1492/159 तथा प्रार्थी की आराजी के बदिशा पश्चिम में आराजी सं. 159/16 तरमीम की गई जो लट्ठा शीट से स्पष्ट रूप से प्रतीत होती है। राजस्व कर्मचारियों द्वारा बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के, बिना प्रार्थी को सुने प्रार्थी को सिपुर्द किये गये साबिक नक्शे में तरमीम के विमुख जाकर आराजी सं. 159 की अन्य लट्ठा शीट (नक्शा) में आराजी सं. 159/16 के बदिशा पूर्व में मनमकसूद तरीके से आराजी सं. 159/17 एवं 159/18 तरमीम कर दी। जिसका की विधिक रूप से उनको कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। प्रार्थी को सिपुर्द की गई आवंटित आराजी के बदिशा दक्षिण में कभी भी आराजी सं. 159/17 व 159/18 स्थित नहीं रही। उक्त दोनों आराजियात् के खातेदारान् विपक्षीगण नं. 01 लगायत 03 का भी वर्तमान में नक्शा शीट में दर्ज उक्त नम्बरान पर कभी कब्जा नहीं रहा एवं न ही है। प्रार्थी को अपनी आवंटित शुदा आराजियात् का कब्जा दिनांक 14.06.1992 को ही नक्शे में तरमीम करते हुये सिपुर्द कर दिया गया। जबकि विपक्षीगण नं. 03 को आवंटित आराजी का कब्जा प्रार्थी की

सहायक कलक्टर
(भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner

सिपुर्दगी से पांच माह पश्चात् सिपुर्दगीनामा बनाया गया। राजस्व कर्मचारियों द्वारा अवैधानिक रूप से गलत तरमीम कर देने के कारण आराजी सं. 1491/159 में आराजी सं. 159/17 व 159/18 की तरमीम को हटाते हुए प्रार्थी को खातेदारी घोषणा, इन्द्राज दुरस्ती एवं तरमीम दुरस्त किये जाने का वाद पत्र प्रस्तुत किये जाने की आवश्यकता हुई। आराजी नं. 1491/159 के बदिशा उत्तर में दूसरे नक्शे में आराजी नं. 1494/159 विपक्षीगण नं. 04 राज्य सरकार के नाम पर बिलानाम दर्ज कर रखी है, जबकि प्रार्थी की आराजी के उत्तर की ओर पूर्व में आराजी नं. 1494/159 दर्ज नहीं था। प्रार्थी दूसरे नक्शे के अनुसार अपनी आराजी नं. 1491/159 के उत्तर दिशा में आराजी नं. 1494/159 का इन्द्राज हटाये जाने बाबत् भी वाद पत्र प्रस्तुत किया जा गया है। विपक्षीगण नं. 03 के नाम आराजी नं. 159/18 आवंटन पत्रावली के साथ संलग्न नक्शे में समचौरस (वर्गाकार) दर्ज है जबकि दूसरे नक्शे में आराजी नं. 159/18 का आकार पूर्व के आकार के अलग दर्ज है जो राजस्व अधिकारियों की मिला भगती से किया गया है। इस कारण प्रार्थी अपनी आराजी नं. 1491/159 को अलाटमेंट की पत्रावली में दर्ज नक्शे के अनुसार सही कराने हेतु वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी के खातेदारी अधिकार की कृषि आराजी सं. 1491/159 रकबा 05 बीघा जिस पर की प्रार्थी निरन्तर निर्बाध रूप से काबिज काश्त है, की नक्शा शीट में गलत रूप से विपक्षीगण नं. 01 लगायत 03 के नाम दर्ज आराजी सं. 169/17, 169/18 की तरमीम अन्य नक्शा शीट में कर देने के कारण वर्तमान नक्शे में उक्त गलत तरमीम दर्ज हो जाने के कारण विपक्षीगण नं. 01 लगायत 03 उपरोक्त आराजी को विक्रय करने पर आमादा हो रहे है। प्रार्थी की उम्र 72 वर्ष होकर अक्सर बीमार रहता है एवं प्रार्थी को अपनी आवंटित सिपुर्द, तरमीम शुदा व कब्जेशुदा आराजी को विक्रय करने व प्रार्थी को बेदखल करने की धमकी विपक्षीगण नं. 01 लगायत 03 द्वारा दिनांक 17.08.2022 को दी गई। विपक्षीगण नं. 01 लगायत 03 द्वारा प्रार्थी को दिनांक 17.08.2022 को आराजी को विक्रय करने एवं बेदखल करने की धमकी दिये जाने के उपरान्त समस्त राजस्व रेकार्ड प्रार्थी के द्वारा प्राप्त किये गये तब प्रार्थी को उपरोक्त तथ्यों की पुख्ता रूप से जानकारी हुई। विपक्षीगण नं. 01 लगायत 03 को प्रार्थी की खातेदारी अधिकार की कब्जेशुदा आराजी पर किसी प्रकार का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। विपक्षीगण नं. 01 लगायत 03 राजस्व अधिकारियों द्वारा गलत रूप से कर दी गई तरमीम के कारण प्रार्थी को अपनी आराजी से वंचित करने की नियत से आराजियात् का बिकाव, हस्तान्तरण कर प्रार्थी को बेदखल करना चाहते है। इस कारण प्रार्थी को अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई। प्रार्थी के खातेदारी अधिकार की कृषि आराजी सं.1491/159 रकबा 1.0800 पर सिपुर्दगीनामे के नक्शे के अनुसार प्रार्थी वक्त आवंटन से निरन्तर निर्बाध रूप से काबिज काश्त चले जाने से प्रार्थी का प्रथम दृष्टया प्रकरण है, सुविधा संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। वर्तमान नक्शा शीट में गलत रूप से तरमीम की गई आराजी सं. 159/17, 159/18 के आधार पर आराजी का विक्रय विपक्षीगण नं. 01 लगायत 03 के द्वारा कर दिया गया तो प्रार्थी अपनी आवंटित सिपुर्द, तरमीम शुदा व कब्जेशुदा आराजी से वंचित हो जायेगा। यदि विपक्षीगण न. 01 लगायत 03 आराजी सं. 159/17, 159/18 का विक्रय कर प्रार्थी को बेदखल कर दिया गया तो प्रार्थी को अपूर्तनीय क्षति होगी। जिसका मूल्यांकन रुपयों में नहीं किया जा सकेगा। ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र प्रस्तुत है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थी के पक्ष में व विपक्षीगण नं. 01 लगायत 03 के खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा ताफैसाला वाद पत्र इस अमर की जारी की जावे कि प्रार्थना पत्र के पैरा नं. 05 में वर्णित कृषि आराजी नं. 1491/159 की लट्ठा शीट में गलत रूप से नये नक्शे में तरमीम की गई आराजी सं. 159/17, 159/18 जिन पर की प्रार्थी का कब्जा निरन्तर निर्बाध रूप से चला आ रहा है, से विपक्षीगण नं. 01 लगायत 03 स्वयं या परिवार के सदस्यों या नोकरों या एजेन्टों से किसी तरह बेदखल, उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न न करें व न करावें, इस हेतु पाबन्द किये जाने का आदेश बक्षावें तथा नक्शे में गलत रूप से दर्ज आराजी सं. 159/17 व 159/18 का किसी भी प्रकार से कोई हस्तान्तरण विपक्षीगण नं. 01 लगायत 03 स्वयं या परिवार के सदस्यों या नौकरों या एजेन्टों से नहीं करें व न करावें इस हेतु भी पाबन्द कराने का आदेश प्रदान करावें। मौके व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने हेतु भी विपक्षीगणों को पाबन्द किये जाने का आदेश प्रदान कराये जाने मांग की।

Dr

सहायक कलक्टर
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थीगण बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से अप्रार्थीगण के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

मैंने वकील प्रार्थी की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहरान किया।

मैंने वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया एवं ध्यानपूर्वक मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड अनुसार ग्राम लुहारीखुर्द प0 ह0 लुहारीखुर्द तह. जहाजपुर की आ. सं. 1491/159 रकबा 1.0800 हैक्टैयर भूमि में प्रार्थी खातेदार है। प्रार्थी द्वारा कथन किया गया है कि राजस्व नक्शे में प्रार्थी को आवंटित खातेदारी आ. स. 1491/159 तथा अप्रार्थीगण की खातेदारी आ. सं. 159/17, 159/18 की आवंटन के बाद सही तरमीम थी, लेकिन वर्तमान नक्शे में गलत रूप से ईन्द्राज कर दिया गया है। प्रार्थी द्वारा आराजी खसरा सं. 1491/159 (आवंटन के समय खसरा नं. 159/13क) के आवंटन पत्रावली की प्रति प्रस्तुत की गई है। आंवटन के समय प्रार्थी को आंवटित खसरा सं. 1491/159 का आस पास के खसरों को दिखाते हुऐ नक्शा रिकोर्ड पर उपलब्ध नही है। प्रार्थी के आराजी खसरा नं. 1491/159 की तरमीम में क्या त्रुटि हुई है, एवं किस समय पर हुई है, यह प्रस्तुत दस्तावेजो एंव प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस से स्पष्ट नहीं है। अतः प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया प्रकरण नही पाया गया है। प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में नहीं होने से अपूरणीय क्षति एवं सुविधा के संतुलन के बिंदू का विवेचन किया जाना आवश्यक नही हैं। अतः न्यायालय प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित नहीं समझता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर. टी. ए. खारिज किया जाता है। पक्षकारान खर्चा अपना–2 वहन करे। पक्षकारान खर्चा अपना–2 वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 31.10.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दामोदर सिंह)
सहायक कलक्टर
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

सहायक कलक्टर
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner